रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 1970/भाद्र 3, 1892

No. 310] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 1970/BHADRA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 25th August 1970

S.O. 2814.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed exists between the bargemen—represented by:—

(1) Calcutta Port Sramik Union, Calcutta-23.
(2) Calcutta Port and Dock Workers Union, Calcutta-23.
(3) Calcutta Dock Workers Union, Calcutta-23.
(4) West Bengal Dock Mazdoor Union, Calcutta-23
(5) Calcutta Boatmen's Union, Calcutta-23.

and the owners of barges, lighters and boats—represented by:—

(1) The Bengal River Transport Association, Calcutta-1.
(2) The Calcutta River Transport Association, Calcutta-1.
(3) M/s. Fraser & Co., Calcutta-1.

plying to, fro and within the Port of Calcutta and that the dispute involves a question of national importance;

And, whereas the Central Government is of opinion that the dispute should be adjudicated by a National Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7B and sub-section (1A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes a National Tribunal at Calcutta of which Shri B N. Banerjee shall be the Presiding Officer and refers the said dispute to the said National Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

"Whether recommendations of the Central Wage Board for Port and Dock Workers as accepted by the Central Government in their Resolution No. WB-21(7)/69, dated the 28th March, 1970, are applicable to the bargemen in the matter of wages and allowances? If not, to what other relief with regard to wages and allowances are they entitled?"

[No. 72/10/70-P&D-Vol.II.]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त 1970

का० आ० 2814.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बार्जमेंनों, जिनका प्रतिनिधित्व :—

(1) कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन, कलकत्ता–23
(2) कलकत्ता पोर्ट एंड डांक वर्कर्स यूनियन, कलकत्ता–23
(3) कलकत्ता डाक वर्कर्स यूनियन, कलकत्ता–23
(4) पश्चिमी बंगाल डाक मजदूर यूनियन, कलकत्ता–23
(5) कलकत्ता बोटमैन्स यूनियन, कलकत्ता–23

करते है और बार्जो, माल बोटों और नोकाओं के जो कलकत्ता पत्तन को, उससे और उसके भीतर चलते है स्वामियों के, जिनका प्रतिनिधित्व :—

(1) दि बंगाल रीवर ट्रासपोर्ट एसोसिएसन, कलकत्ता –1
(2) दि कलकत्ता रीवर ट्रास्पोर्ट एसोसिएशन, कलकत्ता–1
(3) मैसर्स फेजर एण्ड कम्पनी, कलकत्ता–1

करते है, बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है और कि इस विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अन्तर्वलित है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस विवाद का न्यायनिर्णयन किसी राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा–7(ख) और धारा 10 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा करकत्ते में एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० बनर्जी होंगे और उक्त विवाद को उक्त राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने संकल्प सं० डब्ल्यू बी–21 (7)/69 तारीख 28 मार्च, 1970 में यथा प्रतिगृहित केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की पत्तन और डाक कर्मकारों के लिए की गई सिफारिशें मजदूरी और भत्तों के मामले में बार्जमेनों को लागू होती है ? यदि नही, तो वे मजदूरी और भत्तों के सम्बन्ध में कौन से अन्य अनुतोष के हकदार है ?"

[म० 72/10/70–पी० एण्ड डी जिल्द–II]

टी० एस० संकरन, संयुक्त सचिव (एस) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970